UPEW010013482026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी(पी०ए०)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV.....उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–429/2026

सन्तोष कुमार पुत्र रामदयाल, निवासी उदी मोड़ चौराहा, थाना बढ़पुरा, जिला इटावा।

----- --प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य ।

----- --अभियोजनपक्ष।

परिवाद/सत्र वाद सं.–2033/2022
धारा–323, 504, 379 भा.द.सं. व धारा
3(1)rs,3(2)(Va)एससी/एस.टी.(पी.ए.)एक्ट।
थाना–बढ़पुरा, जिला इटावा।

दिनांक 09.03.2026 **आदेश**

1. प्रार्थी/अभियुक्त संतोष कुमार की ओर से जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा सुयोग्य विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी की भूमि गाटा संख्या 3 बाह रोड पर है तथा वादी के खेत पर तार एवं खंभे लगे थे। दिनांक 27.08.2022 को समय करीब दस बजे दिन संतोष कुमार, लालबहादुर, कृष्ण कुमार, राजकुमार, अवधेश कुमार व लल्ला जिनके साथ दो–तीन अज्ञात लोग और थे, वादी के खेत गाटा संख्या 3 में लगे बाढ़ के लिए सभी खंभे उखाड़ कर फेंक दिये और तोड़ दिये तथा वादी के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे इसलिए उक्त सभी लोगों ने खंभो में लगा तार चुरा कर ले जाने लगे तब वादी ने तार उठाकर ले जाने एवं कब्जा करने से मना किया तो सभी लोग धमकी देते हुए साले चमरे तेरी इतनी औकात हो गयी हे कि हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है और भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी डण्डा लेकर मारने को टूटे। वादी अपनी जान बचाकर

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.09 18:40:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भागा। उसी समय प्रबल प्रताप सिह उर्फ संजू एवं कौशलेन्द्र सिंह मौके पर आ गये और बीच–बचाव करके वादी को बचाया। प्रबल प्रताप सिह उर्फ संजू एवं कौशलेन्द्र सिंह वादी को बचाकर घर पर छोड़ आया जब कि वादी के खेत की नाप तौल लेखपाल द्वारा की जा चुकी है। उक्त सभी लोग वादी की नापतौल मानने को तैयार नहीं है तथा जबरदस्ती वादी के खेत पर दबंगई करते हुए कब्जा कर लेना चाहते हैं।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह सरकारी सेवा से रिटायर्ड है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।वह अपनी जमानत देने को तत्पर है तथा वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत को घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. परिवादी पर तामील बजात खात है। परन्तु जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी के समय परिवादी उपस्थित नहीं है।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त अंतरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है तथा अभियुक्त को परिवाद पर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2024 को आहूत किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट के अलावा अन्य सभी धारायें मजि०न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

8. मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों,परिस्थितियों एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये हुये, मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने के पर्याप्त आधार पाता हूँ।

9. तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त संतोष कुमार को उसके द्वारा 20,000/– रुपये के स्वीय बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि कीएक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 09.03.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एसटी(पी०ए०)एक्ट,

इटावा।

JO Code UP 6462